

प्रेषक,

शत्रुन्जय कुमार सिंह,
विशेष सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में

समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

चिकित्सा अनुभाग-5

लखनऊ: दिनांक 03 जून, 2020

विषय:- दिनांक 01.06.2020 से नियमित पैसेन्जर ट्रेनों के संचालन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में गृह विभाग के शासनादेश संख्या-1397/2020-सीएक्स-3, दिनांक 02.06.2020 (छायाप्रति संलग्न) प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अपने जनपद में पड़ने वाले समस्त रेलवे स्टेशन जहां ट्रेन का स्टॉप है वहां पर अपर मुख्य चिकित्साधिकारी/उप मुख्य चिकित्साधिकारी को तैनात करने का कष्ट करें, जिससे स्वास्थ्य विभाग के प्रोटोकाल का अनुश्रवण करते हुए यात्रियों को ट्रेन में चढ़ाया एवं उतारा जा सके। सोशल डिस्टेंसिंग के संबंध में दिये गये निर्देशों का अनुपालन कराते हुए यह भी सुनिश्चित किया जाए कि रेलवे द्वारा उपलब्ध कराये गये स्वास्थ्य संबंधी पम्फलेट भी यात्रियों को उपलब्ध कराये जाएं एवं यात्रियों की प्रभावी स्क्रीनिंग करके यदि कोई Symptomatic यात्री मिलते हैं तो उसकी सूचना टोल फ्री नम्बर 1800-180-5145 पर दी जाए तथा उनको तत्काल चिकित्सीय सुविधा हेतु संबंधित क्वारेन्टाइन सेंटर/अस्पताल भेजा जाए।

कृपया इस संबंध में अपने स्तर से भी आदेश निर्गत करने का कष्ट करें तथा शासनादेश में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराये।

संलग्नक-यथोक्त।

भबदीय,
03/6/2020
(शत्रुन्जय कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या-1196(1)/पाँच-5-2020 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उ०प्र० शासन।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन।
3. अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, उ०प्र० शासन।
4. पुलिस आयुक्त, गौतमबुद्धनगर/लखनऊ।
5. समस्त जिलाधिकारी/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उ०प्र०।
6. निजी सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ०प्र० शासन।
7. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ०प्र० लखनऊ।
8. निदेशक, संचारी, उ०प्र०।
9. गार्ड फाइल।

संलग्नक-यथोक्त

आज्ञा से,
वेद प्रकाश राय
(वेद प्रकाश राय)
अनु सचिव।

sd/An
03/6/20
22/06/20
31/6/2020

ई-मेल / फ़ैक्स / शीर्ष प्राथमिकता
संख्या:-1397 / 2020-CX-3

प्रेषक,

अवनीश कुमार अवस्थी,
अपर मुख्य सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. पुलिस आयुक्त, गौतमबुद्धनगर / लखनऊ
2. समस्त जिलाधिकारी / वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश।

गृह (गोपन) अनुभाग-3

लखनऊ:दिनांक: 02 जून, 2020

विषय: दिनांक 01.06.2020 से नियमित पैसेंजर ट्रेनों के संचालन के सम्बन्ध में।
महोदय,


प्रदेश में चलने वाली 55 नियमित ट्रेन का कृपया संदर्भ लेने का कष्ट करें, जिनका विवरण संलग्न किया गया है। उपरोक्त ट्रेन के नियमित संचालन हेतु स्वास्थ्य विभाग द्वारा यात्रियों के प्रोटोकॉल का आदेश संख्या-1169/पांच-5/2020, दिनांक 28 मई, 2020 जारी किया गया है। उपरोक्त आदेश में 11 बिन्दुओं पर कार्यवाही की जानी है।

2. कृपया अपने जनपद में पड़ने वाले समस्त रेलवे स्टेशन जहाँ उपरोक्त ट्रेन का स्टॉप है, वहाँ पर राउण्ड द क्लॉक मजिस्ट्रेट, पुलिस अधिकारी एवं मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा नामित अपर मुख्य चिकित्साधिकारी/उप मुख्य चिकित्साधिकारी स्तर के अधिकारी को तैनात कराने का कष्ट करें, जिससे स्वास्थ्य विभाग के प्रोटोकॉल का अनुसरण करते हुए ट्रेन में यात्रियों को चढ़ाया जा सके एवं उतारा जा सके। सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित कराते हुये यह भी सुनिश्चित करेंगे कि उनको रेलवे द्वारा उपलब्ध कराये गये स्वास्थ्य सम्बन्धी पम्फलेट भी उपलब्ध कराये जायें एवं प्रभावी स्कीनिंग करके यदि कोई symptomatic यात्री मिलते हैं, तो उसकी सूचना टोल फ्री नं० पर दें तथा उनको तत्काल चिकित्सकीय सुविधा हेतु सम्बन्धित कॉरेन्टाइन सेन्टर/अस्पताल भेज दिया जाये।

प्रत्येक जनपद में जिलाधिकारी/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/मुख्य चिकित्साधिकारी उपरोक्त से सम्बन्धित आदेश अवश्य जारी करें एवं जिलाधिकारी अपने सम्बन्धित मुख्य चिकित्साधिकारियों से भी आदेश जारी करायें। वरिष्ठ अधिकारी समय समय पर रेलवे स्टेशन का निरीक्षण कर लें, जिससे उपरोक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित हो सकें।

संलग्न-यथोक्त।

भवदीय,



(अवनीश कुमार अवस्थी)

अपर मुख्य सचिव

३

भ/पांच
03.06.2020

संख्या एवं दिनांक तदैव।

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
- 1- प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी।
 - 2- मुख्य स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
 - 3- पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 को कृपया अपने स्तर से आदेश जारी करने का कष्ट करें।
 - 4- प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को कृपया अपने स्तर से सभी मुख्य चिकित्साधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें।


आज्ञा से,
(प्रकाश चन्द्र अग्रवाल)
अनु सचिव



आप सुरक्षित, देश सुरक्षित

कोरोना से जंग अभी जारी है

जरूरी है कि एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में हम यात्रा में जुड़ी सावधानियों का पालन करते रहें।



कोरोना से बचाव के लिए जानें और मानें



कन्टेनमेंट जोन में जाने की इजाजत किसी को भी नहीं होगी।



यात्री को 14 दिन होम क्वारंटीन में एवं समुदायिक समितियों के निगरानी तंत्र में रहना होगा यदि वह लम्बे समय तक उत्तर प्रदेश में रहने आये हैं।

यात्री को क्वारंटीन की आवश्यकता नहीं होगी यदि वह एक सप्ताह से कम के लिए उत्तर प्रदेश आ रहे हैं तथा किसी अन्य स्थान अथवा वापस जा रहे हैं।



आवास में होम-क्वारंटीन की पर्याप्त व्यवस्था अथवा अलग शौचालय न होने की दशा में यात्री को इन्स्टीट्यूशनल क्वारंटीन में रखा जाएगा।



यदि आगतुक को किसी आवासीय परिवार के बजाय किसी अन्य स्थान पर रहना है तो इसकी सूचना प्रशासन को उपलब्ध कराएं, जिससे नियमित रूप से सेनिटाइजेशन की व्यवस्था की जा सके।



एक सप्ताह से कम समय के लिए उत्तर प्रदेश में रहने आए यात्रियों को अगली यात्रा का विवरण अवश्य देना होगा।



यात्रियों में खाँसी, साँस लेने में दिक्कत या बुखार की शिकायत होने पर तत्काल हेल्पलाइन नम्बर **1800-180-5145** या स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों से सम्पर्क करें।

दो गज की दूरी, मास्क है जरूरी

सम्पर्क सूत्र

कंट्रोल रूम मुख्य चिकित्सा अधिकारी : 05222622080

कंट्रोल रूम जिलाधिकारी कार्यालय : 05222610170

जिला सर्विलांस अधिकारी : 09415795809






आप सुरक्षित, देश सुरक्षित

कोरोना से जंग अभी जारी है

जरूरी है कि एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में हम यात्रा में जुड़ी मावधानियों का पालन करते रहें।



कोरोना से बचाव के लिए जाने और मानें




कन्टेंनमेंट जोन में जाने की इजाजत किसी को भी नहीं होगी।



यात्री को 14 दिन होम क्वारंटीन में एवं समुदायिक समितियों के निगरानी तंत्र में रहना होगा यदि वह लम्बे समय तक उत्तर प्रदेश में रहने आये हैं।

यात्री को क्वारंटीन की आवश्यकता नहीं होगी यदि वह एक सप्ताह से कम के लिए उत्तर प्रदेश आ रहे हैं तथा किसी अन्य स्थान अथवा वापस जा रहे हैं।



आवास में होम-क्वारंटीन की पर्याप्त व्यवस्था अथवा अलग शौचालय न होने की दशा में यात्री को इन्स्टीट्यूशनल क्वारंटीन में रखा जाएगा।



यदि आगंतुक को किसी आवासीय परिवार के बजाय किसी अन्य स्थान पर रहना है तो इसकी सूचना प्रशासन को उपलब्ध कराएं, जिससे नियमित रूप से सेनिटाइजेशन की व्यवस्था की जा सके।



एक सप्ताह से कम समय के लिए उत्तर प्रदेश में रहने आए यात्रियों को अगली यात्रा का विवरण अवश्य देना होगा।



यात्रियों में खाँसी, साँस लेने में दिक्कत या बुखार की शिकायत होने पर तत्काल हेल्पलाइन नम्बर **1800-180-5145** या स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों से सम्पर्क करें।

दो गज की दूरी. मास्क है जरूरी

सम्पर्क सूत्र

कंट्रोल रूम मुख्य चिकित्सा अधिकारी : 05222622080

कंट्रोल रूम जिलाधिकारी कार्यालय : 05222610170

जिला सर्विलांस अधिकारी : 09415795809



प्रेषक,

वी0 हेकाली झिमोमी,

सचिव,

उ0 प्र0 शासन

सेवा में,

1. मण्डल रेल प्रबन्धक, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तर प्रदेश।

चिकित्सा अनुभाग-5

लखनऊ : दिनांक 28 मई, 2020

विषय:-प्रदेश के विभिन्न जनपदों में अन्य राज्यों से ट्रेन से आने वाले यात्रियों द्वारा कोविड-19 हेतु क्वारेन्टाइन सहित अनिवार्य प्रोटोकॉल का अनुपालन किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक श्री राजीव चौधरी, नार्दन रेलवे हेड क्वार्टर, बडौदा हाउस, नई दिल्ली के अर्द्धशा0 पत्र संख्या-315 एम0सी/स्पेशल ट्रेन/2020, दिनांक 25.05.2020 (प्रति संलग्न) का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें यह अवगत कराया गया है कि चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय एवं गृह मंत्रालय से सलाह के पश्चात् रेल मंत्रालय द्वारा दिनांक 01 जून, 2020 से 200 ट्रेनों का संचालन प्रारम्भ किया जा रहा है। ये ट्रेने पूर्व में संचालित श्रमिक स्पेशल एवं स्पेशल ए0सी0 ट्रेनों के अतिरिक्त होंगी।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त ट्रेनों द्वारा अन्य राज्यों से प्रदेश में आने वाले यात्रियों के व्यवस्थापन हेतु निम्नलिखित दिशा-निर्देशों पर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें:-

1. यदि यात्री उ0प्र0 में ही ठहरने वाला है, तो उसे 14 दिन के होम क्वारेन्टाइन में जाना होगा।
2. यदि यात्री अल्प अवधि (एक सप्ताह से कम) के लिए प्रदेश में आ रहा है तथा यहाँ से किसी अन्य स्थान को जा रहा है अथवा वापस जा रहा है, तो उन्हें क्वारेन्टाइन में जाने की आवश्यकता नहीं होगी।
3. रेल यात्रा हेतु टिकट IRCTC से आनलाइन अथवा PRS के माध्यम से टिकट खिड़की से लिया जा सकता है। दोनों ही स्थितियों में रेलवे द्वारा यात्रियों के सम्बन्ध में सूचनाएँ एकत्र की जाती हैं। प्रदेश सरकार को कोरोना वायरस के संक्रमण को नियंत्रित करने के दृष्टिकोण से निम्नलिखित सूचनाओं की आवश्यकता होगी :-
(i) यात्री का नाम (ii) यात्री की उम्र (iii) यात्री का लिंग (iv) यात्री का फोन नम्बर (v) क्या आगंतुक एक सप्ताह में वापस जा रहा है (हाँ/नहीं) (vi) यदि हाँ तो यात्रा की तिथि (vii) उ0प्र0 में निवास/अवस्थान का पता।
4. CRIS अथवा IRCTC द्वारा यात्रियों के सम्बन्ध में उपरोक्त सूचना ई-मेल railinfoup2020@gmail.com पर चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी। विभाग द्वारा इस सूचना को जनपदवार अलग कर, यात्रियों की सूची सम्बन्धित जनपदों को दी जायेगी। जनपद इस सूचना को मोहल्ला/ग्राम निगरानी समिति को उपलब्ध कराएंगे।
5. यात्रियों के आगमन के पश्चात् रेल विभाग द्वारा रेलवे स्टेशन पर उनकी स्क्रीनिंग की व्यवस्था की जाएगी। जिला प्रशासन द्वारा इस कार्य में सहयोग प्रदान किया जाएगा।
6. यदि इस स्क्रीनिंग में किसी व्यक्ति में लक्षण पाये जाते हैं तो उसको मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा फैंसिलिटी क्वारेन्टाइन ले जाकर उसकी जाँच करायी जायेगी। संक्रमित पाये जाने पर

उसकी गंभीरता के आधार पर कोविड समर्पित एल-1, एल-2 अथवा एल-3 चिकित्सालय में भर्ती कराया जायेगा।

7. जो यात्री उत्तर प्रदेश छोड़ने की योजना नहीं बना रहे हैं उन्हें 14 दिनों की अवधि के लिए होम क्वारेन्टाइन किया जाएगा। इन यात्रियों को होम क्वारेन्टाइन के लिए निर्धारित प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। घर के बाहर पोस्टर चिपकाने सहित होम-क्वारेन्टाइन के बारे में पूर्व में जारी दिशा-निर्देश, मोहल्ला निगरानी समिति और ग्राम निगरानी समिति द्वारा सामुदायिक निगरानी-तंत्र लागू होंगे। स्थानीय जिला प्रशासन इन्हें किसी कार्यालय में योगदान करने अथवा अन्य महत्वपूर्ण कार्य हेतु जाँच के पश्चात होम-क्वारेन्टाइन में छूट देने हेतु अधिकृत होगा। आगमन के 6वें दिन आगन्तुक द्वारा अपना परीक्षण कराया जा सकेगा तथा निगेटिव आने पर होम क्वारेन्टाइन समाप्त कर दिया जाएगा।
8. यदि किसी व्यक्ति के पास अपने घर में होम-क्वारेन्टाइन की पर्याप्त व्यवस्था (उस व्यक्ति हेतु पृथक शौचालय सहित) न हो तो उसे इन्स्टीट्यूशनल क्वारेन्टाइन में रखा जाएगा।
9. जो यात्री अल्प अवधि (एक सप्ताह से कम) के लिए प्रदेश में आ रहे हैं तथा यहाँ से किसी अन्य स्थान को जा रहे हैं अथवा वापस जा रहे हैं तो उन्हें अगली/वापसी की यात्रा का विवरण उपलब्ध कराना होगा। इन्हें क्वारेन्टाइन में जाने की आवश्यकता नहीं होगी। ऐसे यात्रियों को हॉट-स्पॉट के कन्टेनमेंट जोन में जाने की अनुमति नहीं होगी।
10. यदि वापस आने वाले आगंतुक का प्रवास किसी आवासीय परिसर के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान पर प्रस्तावित है तो उक्त स्थान के प्रभारी के द्वारा ऐसे सभी व्यक्तियों की सूचना सम्बन्धित जिला प्रशासन का उपलब्ध कराएंगे। प्रभारी द्वारा ऐसे स्थान का नियमित रूप से सेनीटाइजेशन सुनिश्चित किया जाएगा।
11. यात्री में बुखार, खांसी, गले में खराश, सांस फूलने जैसे लक्षण विकसित होने की स्थिति में इसकी सूचना टोल फ्री नम्बर-1800-180-5145 पर दी जाएगी या स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों से सम्पर्क किया जाएगा।

कृपया उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीया,
(वी० हेकाशी शिमोनी)
सचिव।

संख्या--1169(1)/पांच-5-2020, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, उ०प्र० शासन।
2. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उत्तर प्रदेश।
3. श्री राजीव चौधरी, नार्दन रेलवे हेड क्वार्टर, बडौदा हाउस, नई दिल्ली।
4. निदेशक, संचारी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उत्तर प्रदेश।
5. मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ०प्र०।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(वेद प्रकाश राय)
अनु सचिव।

NORTHERN RAILWAY

Headquarters Office
Baroda House
New Delhi

DO. No. 315 MC/Spl. Trains/2020

Dated 25.5.2020

Dear Shri Tiwari,

*As you are aware, Ministry of Railways in consultation with Ministry of Health and Family welfare and Ministry of Home Affairs has decided that train services on Indian Railways shall be partially restored w.e.f. from 01st June 2020.

Indian railways will start operation of 200 passenger services from 01st June 2020. These trains are in addition to Shramik Specials and Special AC trains being already running.

A list of stoppage of these trains in your state is annexed herewith. It is requested that you may like to make arrangement for public transport at these locations and also for ensuring necessary health protocol as may be applicable in your state for the passengers passengers alighting from the trains at these stations.

DA: As Above.

(Rajiv Chaudhry)

Sh. Rajendra Kumar Tiwari,
Chief Secretary
Govt. of Uttar Pradesh
Uttar Pradesh State

Special Train Stoppages Over Uttar Pradesh State From 01.06.2020

S. No.	Train Number	Station (Stoppage)	Arrival	Departure	Day
1	2555	Barabanki	20:48	20:50	DAILY
		Lucknow	21:35	21:45	
		Unnao	22:43	22:45	
2	2556	Unnao	3:41	3:43	DAILY
		Lucknow	4:52	5:02	
		Barabanki	5:48	5:50	
3	2533	Unnao	20:42	20:44	DAILY
4	2534	Unnao	7:22	7:24	DAILY
5	2791	Varanasi	14:25	14:35	DAILY
6	2792	Varanasi	16:50	17:00	DAILY
7	1071	Phulpur	16:43	16:45	DAILY
		Janghai	17:11	17:13	
		Bhadohi	17:42	17:44	
		Parsipur	17:53	17:54	
		Sewapuri	18:33	18:34	
8	1072	Bhadohi	16:26	16:28	DAILY
		Suriawan	16:48	16:49	
		Janghai	17:08	17:10	
		Phulpur	17:38	17:40	
9	2419	Unnao	6:56	6:58	DAILY
10	2420	Unnao	20:53	20:55	DAILY
11	2217	Jaunpur City	19:48	19:50	TUE, THUR, SAT
		Sultanpur	21:06	21:08	
		Nihalgarh	21:56	21:58	
		Lucknow	23:48	23:58	
12	2218	Lucknow	3:05	3:15	TUE, THUR, SAT
		Nihalgarh	4:31	4:33	
		Sultanpur	5:16	5:18	
		Jaunpur Jn	6:32	6:34	
13	2219	Jaunpur Jn	19:15	19:20	MON, WED, FRI, SUN
		Zaffarabad Jn	19:35	19:40	
		Sultanpur	21:18	21:20	
		Musafir Khana	21:46	21:48	
		Lucknow	23:48	23:58	
14	2220	Lucknow	3:05	3:15	WED, FRI, SUN, MON
		Musafir Khana	4:45	4:47	
		Sultanpur	5:16	5:18	
		Zaffarabad Jn	6:59	7:00	
		Jaunpur Jn	17:50	17:55	

15	2233	Zaffarabad Jn	18:05	18:10	TUE,SAT
		Janghai	19:50	19:55	
16	2234	Janghai	5:56	5:58	TUE,SAT
		Zaffarabad Jn	7:20	7:25	
17	4673	Jaunpur Jn	7:40	7:45	MON,WED,THUR,SAT
		Barabanki	23:53	23:55	
18	4674	Lucknow	0:45	0:55	TUE,THUR,FRI,SUN
		Lucknow	6:10	6:25	WED,FRI,SAT,MON
19	4649	Barabanki	7:23	7:25	TUE,FRI,SUN
		Shahganj Jn	20:05	20:30	
		Akbaupur	21:08	21:10	
		Ayodhya Jn	21:51	21:53	
		Faizabad	22:15	22:20	
		Rudauli	22:51	22:53	
		Barabanki	23:53	23:55	
20	4650	Lucknow	0:45	0:55	WED,SAT,MON
		Lucknow	6:10	6:20	TUE,THUR,SUN
		Barabanki	7:06	7:08	
		Faizabad	8:33	0.602777778	
		Akbaupur	9:46	9:48	
Shahganj Jn	10:55	11:20			
21	9089	Varanasi	1:25	1:30	DAILY
22	9090	Varanasi	12:55	13:00	DAILY
23	9165	Unnao	23:42	23:44	THUR,SAT,MON
		Lucknow	0:50	1:05	FRI,SUN,TUE
		Barabanki	1:48	1:50	
		Daryabad	2:22	2:24	
		Rudauli	2:55	2:57	
		Sohwal	3:20	3:21	
		Faizabad	4:00	4:10	
		Ayodhya Jn	4:28	4:30	
		Goshainganj	4:58	4:59	
		Akbaupur	5:21	5:23	
		Malipur	5:48	5:50	
		Shahganj Jn	6:40	7:10	
		Shahganj Jn	16:10	16:35	
		Malipur	16:56	16:58	
		Akbaupur	17:23	17:27	
		Goshainganj	17:43	17:45	
		Ayodhya Jn	18:12	18:14	
		Faizabad	18:35	18:45	

24	9166	Sohwal	19:06	19:07	TUE, THUR, SUN
		Rudauli	19:49	19:50	
		Daryabad	20:33	20:35	
		Barabanki	21:54	21:56	
		Lucknow	23:00	23:15	
		Unnao	0:22	0:24	
25	9167	Unnao	23:42	23:44	TUE, WED, FRI, SUN
		Lucknow	0:50	1:05	WED, THUR, SAT, MON
		Barabanki	1:48	1:50	
		Daryabad	2:22	2:24	
		Rudauli	2:55	2:57	
		Sohwal	3:20	3:21	
		Faizabad	4:00	4:10	
		Ayodhya Jn	4:28	4:30	
		Goshainganj	4:58	4:59	
		Akbaupur	5:21	5:23	
		Malipur	5:48	5:50	
		Shahganj Jn	6:40	6:45	
Jaunpur Jn	7:33	7:38			
26	9168	Jaunpur Jn	15:38	15:42	TUE, THUR, FRI, SUN
		Shahganj Jn	16:20	16:30	
		Malipur	16:58	17:00	
		Akbaupur	17:19	17:23	
		Goshainganj	17:43	17:45	
		Faizabad	18:35	18:45	
		Rudauli	19:49	19:50	
		Daryabad	20:33	20:35	
27	9045	Lucknow	23:00	23:15	TUE, THU, FRI, SAT, MON
		Unnao	0:22	0:24	
		Kashi	10:32	10:33	
		Varanasi	10:53	11:03	
28	9046	Jaunpur Jn	12:02	12:04	TUE, WED, FRI, SAT, SUN
		Shahganj Jn	13:16	13:31	
		Shahganj Jn	14:40	14:50	
		Jaunpur Jn	15:37	51:39:00	
29	9041	Varanasi	17:15	17:30	SUN, TUE
		Kashi	17:45	17:46	
		Janghai	6:40	6:42	
		Mariahuodhya Jn	7:26	7:28	

		Jaunpur Jn	8:27	8:32	
30	9042	Jaunpur Jn	21:30	21:35	TUE,SUN
		Mariahudhya Jn	22:21	22:23	
		Janghai	23:01	23:03	
31	9037	Unnao	5:08	5:10	THU,FRI,SUN
		Harauni	5:39	5:40	
		Barabanki	8:09	8:11	
32	9038	Barabanki	18:19	18:21	MON,WED,FRI,SAT
		Harauni	21:22	21:23	
		Unnao	21:48	21:50	
33	9039	Unnao	5:07	5:09	WED,SAT,MON
		Barabanki	8:10	8:12	
34	9040	Barabanki	18:19	18:21	TUE,THU,SUN
		Unnao	21:48	21:50	
35	1061	Varanasi	13:40	13:50	DAILY
36	1062	Varanasi	23:15	23:25	DAILY
37	2904	Saharanpur	3:30	3:40	DAILY
38	2903	Saharanpur	23:10	23:20	DAILY
39	2054	Saharanpur	12:23	12:28	EXCEPT-THU
40	2053	Saharanpur	16:15	16:20	EXCEPT-THU
41	2408	Saharanpur	15:05	15:15	FRI
42	2407	Saharanpur	11:57	12:07	WED
43	2229	Hapur	5:02	5:04	DAILY
		Moradabad	3:25	3:27	DAILY
		Rampur	2:40	2:42	DAILY
		Bareilly Jn	1:45	1:47	DAILY
		Shahjehanpur	0:38	0:40	DAILY
		Hardoi	23:37	23:38	DAILY
44	2230	Hapur	23:22	23:23	DAILY
		Moradabad	1:05	1:07	DAILY
		Rampur	1:40	1:42	DAILY
		Bareilly Jn	2:39	2:41	DAILY
		Shahjehanpur	3:45	3:47	DAILY
		Hardoi	4:43	4:45	DAILY
45	2407	Moradabad	8:40	8:42	THU
46	2408	Moradabad	18:10	18:12	FRI
47	4009	Hapur	16:50	16:52	MON
		Moradabad	15:00	15:02	
		Chandausi Jn	13:57	13:59	
48	4010	Hapur	1:10	1:12	SUN
		Moradabad	2:52	2:54	
		Chandausi Jn	3:55	3:57	

49	2218	Moradabad	21:40	21:42	MON, WED, FRI
		Bareilly Jn	23:08	23:09	
50	2217	Moradabad	4:55	4:57	WED, FRI, SUN
		Bareilly Jn	3:23	3:25	
51	2558	Moradabad	17:37	17:38	DAILY
52	2557	Moradabad	4:42	4:44	DAILY
53	5273	Hapur	7:05	7:07	DAILY
		Amroha	4:43	4:45	
		Moradabad	4:07	4:09	
		Rampur	3:19	3:21	
		Bareilly Jn	2:21	2:23	
		Shahjehanpur	1:11	1:13	
		Sitapur City	23:20	23:21	
54	5274	Hapur	18:47	18:48	DAILY
		Amroha	20:00	20:01	
		Moradabad	20:47	20:48	
		Rampur	21:24	21:25	
		Bareilly Jn	22:22	22:23	
		Shahjehanpur	23:39	23:40	
		Sitapur City	2:30	2:32	
55	2357	Moradabad	7:50	7:52	WED, SUN
56	2358	Moradabad	14:52	14:53	MON, THU
57	2391	Moradabad	1:27	1:29	DAILY
		Bareilly Jn	23:49	23:50	
		Shahjehanpur	22:44	22:45	
58	2392	Moradabad	16:02	16:03	DAILY
		Bareilly Jn	17:38	17:39	
		Shahjehanpur	18:45	18:46	
59	4673	Hapur	7:48	7:50	TUE, WED, FRI, SUN
		Amroha	6:45	6:47	
		Moradabad	6:05	6:07	
		Rampur	5:18	5:20	
		Bareilly Jn	4:23	4:25	
		Shahjehanpur	3:21	3:23	
60	4674	Hapur	22:35	22:37	SUN, TUE, THU, FRI
		Amroha	23:30	23:31	
		Moradabad	0:12	0:14	MON, WED, FRI, SAT
		Rampur	0:53	0:55	
		Bareilly Jn	1:57	1:59	

		Shahjehanpur	3:03	3:05	
61	4649	Hapur	7:48	7:50	MON, WED, SAT
		Amroha	6:45	6:47	
		Moradabad	6:05	6:07	
		Rampur	5:18	5:20	
		Bareilly Jn	4:23	4:25	
		Shahjehanpur	3:21	3:23	
62	4650	Hapur	22:35	22:37	MON, WED, SAT
		Amroha	23:30	23:31	
		Moradabad	0:12	0:14	
		Rampur	0:53	0:55	
		Bareilly Jn	1:57	1:59	
		Shahjehanpur	3:03	3:05	
63	2219	Moradabad	3:23	3:25	MON, TUE, THU, SAT
		Bareilly Jn	4:55	4:57	
64	2220	Moradabad	21:40	21:41	SUN, TUE, THU, SAT
		Bareilly Jn	23:08	23:09	
65	2091	Najibabad	18:26	18:27	SUN, TUE, WED, FRI, SAT
		Moradabad	20:15	20:16	
		Rampur	20:56	20:57	
66	2092	Najibabad	9:53	9:54	SUN, TUE, WED, FRI, SAT
		Moradabad	8:25	8:26	
		Rampur	7:45	7:46	
67	2230	Ghaziabad	22:48	22:50	Daily
68	2229	Ghaziabad	6:01	6:03	Daily
69	2391	Ghaziabad	3:54	3:56	Daily
70	2392	Ghaziabad	13:51	13:53	Daily
71	2417	Ghaziabad	6:13	6:15	Daily
72	2418	Ghaziabad	21:54	21:56	Daily
73	2419	Ghaziabad	14:12	14:14	Daily
74	2420	Ghaziabad		12:25	Daily
75	4009	Ghaziabad	17:43	17:45	Mon
76	4010	Ghaziabad	0:23	0:25	Sun
77	2801	Ghaziabad	3:30	3:32	Daily
78	2553	Ghaziabad	5:55	5:57	Daily
79	5273	Ghaziabad	8:16	8:18	Daily
80	5273	Sahibabad	8:30	8:32	Daily
81	5274	Sahibabad	17:39	17:41	Daily
82	5274	Ghaziabad	18:03	18:05	Daily
83	4673	Ghaziabad	9:13	9:15	Tue, Thu, Fri, Sun

84	4674	Ghaziabad	22:00	22:02	Tue,Thu,Fri,Sun
85	2055	Ghaziabad	16:00	16:02	Daily
86	2055	Meerul City	16:41	16:43	Daily
87	2055	Muzaffarnagar	17:23	17:25	Daily
88	2055	Vrindavan	17:43	17:45	Daily
89	2055	Tapri Jn	18:12	18:14	Daily
90	2056	Tapri Jn	7:54	7:56	Daily
91	2056	Vrindavan	8:16	8:18	Daily
92	2056	Muzaffarnagar	8:36	8:38	Daily
93	2056	Meerut City	9:24	9:26	Daily
94	2056	Ghaziabad	10:28	10:30	Daily
95	2217	Ghaziabad	7:20	7:22	Wed,Fri,Sun
96	2218	Ghaziabad	19:20	19:22	Mon.Wed.Fri
97	2903	Ghaziabad	19:51	19:53	Daily
98	2903	Meerut City	21:01	21:06	Daily
99	2903	Meerul Cantl	21:11	21:13	Daily
100	2903	Sakholi Tanda	21:30	21:31	Daily
101	2903	Muzaffarnagar	21:48	21:50	Daily
102	2904	Muzaffarnagar	4:23	4:25	Daily
103	2904	Sakholi Tanda	4:47	4:48	Daily
104	2904	Meerul Cantl	5:01	5:03	Daily
105	2904	Meerul City	5:17	5:22	Daily
106	2904	Ghaziabad	6:18	6:20	Daily
107	4649	Ghaziabad	9:13	9:15	Mon,Wed,Sat
108	4650	Ghaziabad	22:00	22:02	Mon,Wed,Sat

24.05.2020

Government of India
Ministry of Health and Family Welfare

Guidelines for domestic travel (air/train/inter-state bus travel)

- 1) Dos and Don'ts shall be provided along with tickets to the travellers by the agencies concerned.
- 2) All passengers shall be advised to download Arogya Setu app on their mobile devices.
- 3) Suitable announcement about COVID-19 including precautionary measures to be followed shall be made at airports/railway station/bus terminals and in flights/trains/bus.
- 4) The States/UTs shall ensure that all passengers shall undergo thermal screening at the point of departure and only asymptomatic passengers are allowed to board the flight/train/bus.
- 5) During boarding and travel, all passengers shall use face covers/mask. They will also follow hand hygiene, respiratory hygiene and maintain environmental hygiene.
- 6) At airports/railway stations/ bus terminals required measures to ensure social distancing shall be taken.
- 7) Airports/railway stations/bus terminals should be regularly sanitized/disinfected and availability of soaps and sanitizers shall be ensured.
- 8) Thermal screening at exit point shall be arranged.
- 9) Asymptomatic passengers will be permitted to go with the advice that they shall self-monitor their health for 14 days. In case, they develop any symptoms, they shall inform the district surveillance officer or the state/national call center (1075).
- 10) Those found symptomatic will be isolated and taken to the nearest health facility. They will be assessed for clinical severity at the health facility.
- 11) Those having moderate or severe symptoms will be admitted to dedicated COVID Health facilities and managed accordingly.
- 12) Those having mild symptoms will be given the option of home isolation or isolated in the Covid Care Centre (both public & private facilities) as appropriate and tested as per ICMR protocol available at <https://www.mohfw.gov.in/pdf/Revisedtestingguidelines.pdf>.
If positive, they will continue in COVID Care Centre and will be managed as per clinical protocol.
If negative, the passenger may be allowed to go home, isolate himself/herself and self-monitor his/her health for further 7 days. In case, any symptoms develop they shall inform the district surveillance officer or the state/national call center (1075).

NOTE: States can also develop their own protocol with regards to quarantine and isolation as per their assessment.

